अवसर चाहा है। अतः न्यायहित में वकील अप्रार्थीगण को अंतिम अवसर बहस हेतु दिया जाता है कि वोह आगामी तारीखपेशी को बहस करें अन्यथा वकील प्रार्थी की बहस ही सुनी जा सकेगी। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम रूप से दिनांक 24/9/19 को पेश हो। [signature]

24/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9/10/19 को पेश हो। [signature]

9/10/19 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– प्रार्थना–पत्र / 52 / 2018

1. शेरसिंह उम्र 82 वर्ष पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्डलपुर दक्षिण तहसील धोद जिला सीकर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र हणमान
2. बालूराम पुत्र हणमान
3. गीतादेवी पुत्री हणमान
4. रतनी देवी पुत्री हणमान
5. सावित्री पत्नी स्व. भंवरलाल
6. केशर पुत्र स्व. भंवरलाल
7. मोहनी पत्नी मंगला
8. प्रहलाद पुत्र मंगला
9. बनवारी पुत्र मंगला
10. माना पुत्र बेगाराम
11. हणमान पुत्र बेगाराम
12. सुरजाराम पुत्र भैरूराम
13. दडकी पत्नी लिछमण
14. देबू दत्तक पुत्र लिछमण
15. शिवपाल पुत्र भैरूराम
16. पदमाराम पुत्र भैरूराम
17. सांवरमल पुत्र डूगाराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम कुण्डलपुर दक्षिण तहसील धोद जिला–सीकर राज.

18. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा ग्राम बाडलवास, जरिये व्यवस्थापक
19. राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा बजाज ग्राम सांवली सीकर
20. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

– अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड नक्शा अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–:आदेश:–

दिनांक–09.10.2019

01. प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कुण्डलपुर दक्षिण पटवार हल्का बिडोली, तहसील धोद जिला सीकर (राजस्थान) की तन में कृषि आराजियात खसरा नम्बर 921 रकबा 4.72 हैक्टैयर अवस्थित है, जिसका खातेदार काश्तकार प्रार्थी है एवं भूमि खसरा नम्बर 921 / 1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर स्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 के नाम से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 347 / 1 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 347 / 2

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा, ग्राम आंतरी तहसील सीकर नवसृजित तहसील धोद ग्राम कुण्डलपुर में स्थित है। उक्त आराजी की पूर्व में खातेदारी प्रार्थी के पिता मोहनसिंह पुत्र झुंझार सिंह जाति राजपूत ग्राम आंतरी के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 347/2 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा को काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 के पूर्वज भैरिया पुत्र बेगाराम जाति अहीर काश्त किया करता था, जिससे कब्जे कश्त के आधार पर अन्तर्गत धारा 19 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत नामांतकरण संख्या 21 के द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में खातेदारी का अंकन कर दिया गया। उसके पश्चात गत सेटलमेंट में इसके नये खसरा नम्बर 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टैयर अंकित कर दिया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 का पुश्तैनी रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। पुराने खसरा नम्बर 347/1 रकबा 32 बीघा 4 बीस्वा की खातेदारी भी पूर्व में प्रार्थी के पिता मोहन सिंह के नाम से दर्ज रही। तत्पश्चात् प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत से खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 198 दिनांक 16.08.1971 को प्रार्थी के नाम से दर्ज कर दी गई जिसका अंकन भी जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 में दर्ज है। प्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 347/1 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी दर्ज होने के पश्चात प्रार्थी व उसके बड़े भाई जयसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह ने अपनी पैतृक भूमियों का बंटवारा करके खातेदारी अलग-अलग अपने नाम दर्ज करवा ली जिससे नामान्तकरण संख्या 209 से खसरा नम्बर 347/1 रकबा 15 बीघा भूमि पृथ्वीसिंह को एवं खसरा नम्बर 347/2 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी को प्राप्त हुई जिसका अंकन भी जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 में दर्ज है। गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 347/1 के नये खसरा नम्बर 929 रकबा 3.47 हैक्टैयर पृथ्वीसिंह के नाम से बना ओर खसरा नम्बर 347/2 के नये खसरा नम्बर 921 रकबा 4.72 हैक्टैयर अंकित किया गया जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज है। तत्पश्चात पृथ्वीसिंह पुत्र जयसिंह ने खसरा नम्बर 929 में से रकबा 3.27 हैक्टैयर भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 के पिता भंवरलाल, अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 के पति/पिता मंगलाराम, अप्रार्थी संख्या 12 सुरजाराम व अप्रार्थी संख्या 15, व 16 शिवपाल, पदमा पुत्रगण भैरूराम को बेचान कर दिया गया जिससे खसरा नम्बर 929/2 रकबा 3.27 हैक्टेयर की खातेदारी इनके नाम से दर्ज कर दी गई जिसके वर्तमान में नये खसरा नम्बर 1124/929 रकबा 3.27 हैक्टेयर है। शेष रकबा 0.20 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 929/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर अंकित कर दिये गये, जिसकी खातेदारी प्रार्थी शेरसिंह के नाम दर्ज है जिसके वर्तमान में नये खसरा नम्बर 1123/929 रकबा 0.20 हैक्टेयर रिकार्ड में दर्ज है। जिसका कोई विवाद नही है परन्तु विवादित भूमि खसरा नम्बर 921 व 921/1111 के पुराने खसरा नम्बर 347/1 व 347/2 होने के कारण उक्त तथ्यों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के पूर्वज भैंरिया पुत्र बेगाराम खसरा नम्बर 347 में से उत्तरी पूर्वी कोने में 1 बीघा 9 बिस्वा को काश्त किया करते थे। जिसके कारण खसरा नम्बर 347/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी भैरीया पुत्र बेगाराम के नाम से दर्ज हुई, लेकिन तरमीम नहीं की गई। गत सेटलमेंट में खसरा नंबर 347 के नये खसरा नम्बरा 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टैयर अंकित करके नक्शा में उक्त स्थान को खसरा नम्बर 921 के पूर्वी दिशा की तरफ गलत अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त स्थान पर प्रार्थी का कब्जा काश्त पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है। खसरा नम्बर 921 में से उत्तरी पूर्वी कोने में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 का पुश्तैनी रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु नक्शा में गलत अंकन होने से नक्शा को दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 ने अप्रार्थी संख्या 18 व 19 से ऋण ले रखा है व अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

संख्या 20 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने के कारण इनको फोर्मल पक्षकार बनया गया है। प्रार्थना–पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र अनावेदक संख्या 01 लगायत 17 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नक्शा में खसरा नम्बर 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर को कैंसिल किया जाकर उक्त रकबा को खसरा नम्बर 921 में मिलाया जाकर फिर खसरा नम्बर 921 में से रकबा 0.36 हैक्टैयर कम किया जाकर नक्शा में खसरा नम्बर 921 के उत्तरी पूर्वी कौने में लाल स्याही से मार्क स्थान पर खसरा नम्बर 921/ 1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर अंकित किया जाकर राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 20 को आदेशित किये जाने की कृपा करें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 व 13 ता 20 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 12 की ओर से अभिभाषक श्री सोहनलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। परन्तु जवाब पेश नहीं किया। तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2036 दिनांक 26.07.2017 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं. 12 अनुपस्थित। अतः बहस एकपक्षीय प्रार्थी वकील से सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि सेटलमेंट के समय ही गलत तरमीम कर दी गई। कब्जे के अनुसार तरमीम को दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार धोद की रिपोर्ट सही है। उक्तानुसार प्रार्थी द्वारा वांछित संशोधन किया जावे।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 व 13 ता 19 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 12 की तरफ से अभिभाषक ने केवल वकालतनामा पेश किया है लेकिन कोई जवाब पेश नहीं किया है। उक्त प्रकरण सेटलमेंट विभाग द्वारा तरमीम कब्जे काश्त के अनुसार नहीं करके गलत स्थान पर किये जाने से संबंधित है। प्रार्थी का तर्क है कि विवादित खसरा सं. 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर की तरमीम खसरा सं. 921 के उत्तरी पूर्वी कौने में कब्जे काश्त के अनुसार की जानी चाहिए थी। जबकि सेटलमेंट ने गलत जगह तरमीम कर दी, जहां पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगणों का नहीं होकर प्रार्थी का है। कब्जे काश्त की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार, धोद से प्राप्त की गई। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि वर्तमान में खसरा सं. 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर की जहां तरमीम है, वहां पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी के नाम पर दर्ज खसरा सं. 921 के उत्तरी पूर्वी कौने पर लगभग 0.55 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी सं. 12 सुरजाराम पुत्र भैंरूराम का कब्जा काश्त है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणों के नाम पर दर्ज खसरा सं. 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टेयर नक्शे में जहां अंकित है, वहां पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगणों का नहीं होकर प्रार्थी का है तथा प्रार्थी के नाम पर दर्ज खसरा सं. 921 रकबा 4.72 हैक्टेर के उत्तरी पूर्वी कौने पर लगभग 0.55 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का नहीं होकर अप्रार्थी सं. 12 सुरजाराम का है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 921/1111 की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर कब्जे–काश्त के अनुसार खसरा सं. 921 के उत्तरी पूर्वी कौने में खसरा सं. 921/1111 रकबा 0.36 हैक्टैयर की तरमीम करने के आदेश तहसीलदार, धोद को दिये जाते है। उक्त प्रक्रिया में खसरा सं. 921 का रकबा यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर (राज.)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner